[2008] 12 एस. सी. आर 13

एज़ाज़ व अन्य

बनाम

यू. पी. राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 193/2005)

12 अगस्त, 2008

[डॉ. अरिजीत पासायत और डॉ मुकुंदकम शर्मा , जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा 302 सपठित धारा 34 और धारा 307 सपठित धारा 34 अभियोजन के अंतर्गत- चार अभियुक्तों का घटना के चश्मदीद-गवाह प्रयोजन साबित- निचली अदालत द्वारा सभी अभियुक्तों की दोषसिद्धि स्थापित की गई- उच्च न्यायालय ने एक अभियुक्त को बरी कर दिया और दोषसिद्धि की पुष्टि की अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः दोषसिद्धि न्यायोचित- अभियोजन पक्ष के गवाह विश्वसनीय हैं।

धारा 34- आशय निर्धारित किया, तब आकर्षित होती है जब भागीदारी होती है। सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए आपराधिक कार्य भागीदारी शारीरिक होने की आवश्यकता नहीं है- केवल घटनास्थल पर उपस्थिति से यह प्रावधान लागू नहीं होगा। सामान्य आशय को साबित किया जाना चाहिए- हालांकि सामान्य आशय मौके पर ही विकसित हो

सकते हैं, लेकिन यह पूर्व-व्यवस्थित योजना और अपराध के लिए पूर्ववर्ती होना चाहिए। पूर्व नियोजित योजना के तहत सहमति से किये गये कार्य-सामान्य आशय व समान आश्य में फर्क है।

शब्द और वाक्यांश 'सामान्य आशय' और 'अग्रेषण' का धारा 34 आई.पी.सी. के संदर्भ में अर्थ

तीन अपीलार्थी- एक अन्य सह-अभियुक्त के साथ अभियुक्त पर हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा चलाया गया। कथित कृत्य का मकसद यह था कि मृतक और अपीलार्थी विरोधी थे क्योंकि मृतक एक अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक मामले में पैरवी कर रहा था। यह घटना आँखों से देखी गई थी। निचली अदालत ने सभी चार अभियुक्तों को धारा 302 सपठित धारा 34 और सपठित 307 सपठित धारा 34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने ए-4 को बरी कर दिया, परन्तु दूसरों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

इस अदालत में अपील में अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि धारा 34 आई. पी. सी. का ए-2, ए-3 पर कोई प्रयोज्यता नहीं है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने यह अभिनिधार्रित किया कि पीछे के तथ्यात्मक परिदृश्य को देखते हुए निधार्रित किये कानून के सिद्धांतों के अनुसार अपील योग्यता के बिना है। पीडब्लू 1, 2 और 3 की साक्ष्य स्पष्ट और साफ है। निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष निकाला की उसमें विश्वसनीयता थी

और वह सत्य प्रतीत होता है। साक्ष्य की अस्वीकृति के लिए कुछ भी कमजोर नहीं बताया जा सकता है। इसलिये निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा पीडब्लयू 2 व 3 की साक्ष्य पर निर्भरता को उचित ठहराया गया था [पैरा 5 और 8] [22, डी; 19, ई-एफ]

2.1 धारा 34 आई.पी.सी. का प्रमुख विशेष तत्व है कार्रवाई में भागीदारी। इस धारा के तहत दायित्व का सार एक सामान्य आशय का अस्तित्व है व पूर्व निधारित योजना के तहत सहमति में कार्य करना है। इसका सार अपराध करने वाले व्यक्तियों के मन की एक साथ सर्वसम्मति होना एक विशेष परिणाम लाने के लिए आपराधिक कार्रवाई में भाग लेना। [पैरा 6] [20, सी-डी]

रामास्वामी अय्यनगर और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 2027- संदर्भित।

2.2 भागीदारी सभी मामलों में भौतिक उपस्थिति से नहीं होनी चाहिए। शारीरिक संबंध से जुड़े अपराधों में सामान्यतः भौतिक उपस्थिति, इस धारा के तहत उत्तरदायी बना सकती है, परन्तु हर अपराध पर लागू नहीं होती है। इस धारा के तहत उत्तरदायी होना हर मामले में इसकी प्रयोज्यता की शर्तों में से एक नहीं है। इससे पहले कि एक आदमी को दूसरे द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके।इस धारा के दृष्टिकोण से, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि (i) पूर्व-व्यवस्थित योजना के अर्थ में सामान्य आशय था। दोनों के बीच, और (ii) व्यक्ति ने

इस तरह से आयोजित होने की मांग की। उत्तरदायी ने अधिनियम में किसी तरह से भाग लिया था। जब तक कि सामान्य आशय और भागीदारी न हो राशन दोनों मौजूद हैं, यह धारा लागू नहीं हो सकती है। [पैरा 6] [20, डी-ई]

2.3 'सामान्य आशय' दर्शाता है पूर्व-व्यवस्थित योजना और पूर्व-निर्धारित योजना के अग्रसरण में कार्य करना। इस धारा के तहत विशिष्ट पूर्व अग्रसरण किसी विवेकपूर्ण योजना के अनुसार होना साबित करने की आवश्यकता नहीं है। किसी विशेष परिणाम को लाने का सामान्य आशय मौके पर थी विकसित हो सकता है। मामले के तथ्यों और स्थिति की परिस्थितियों के संदर्भ में, कई व्यक्तियों के बीच के रूप में मौके पर यद्यपि सामान्य आशय मौके पर ही विकसित हो सकता है, फिर भी, यह पूर्व निर्धारित योजना और पूर्व निर्धारित आशय को दर्शाते हुए अपराध के सामान्य आशय के लिए पूर्ववर्ती होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि समान आशय को सामान्य आशय के साथ भ्रमित न किया जाए; विभाजन उनके बंधनों को विभाजित करता है अक्सर बहुत पतला होता है, फिर भी फर्क वास्तविक और महत्वपूर्ण है, और अगर अनदेखी की जाती है तो फिर से होगी एवं न्याय की विफलता होगी। [पैरा 7] [20, जी-एच; 21.ए-सी]

अमृत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य 1972 Crl.L.J. 465 एससी पर निर्भर था।

कृष्ण गोविंद पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1413-निर्दिष्ट।

2.4 सामान्य आशय प्रमाणित करने के लिए, यह आवश्यक है प्रत्येक अपराधी के इरादे के बारे में बाकी लोगों को पता होना चाहिए और उनके द्वारा साझा किया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष तथ्यों, परिस्थितियों और आचरण से साक्ष्य का नेतृत्व करना चाहिए, जिनसे अभियुक्तों को सामान्य आशय से सुरक्षित रूप से इकट्ठा किया जा सके। परिस्थितियों की समग्रता के किसी निष्कर्ष पर पहुँचते समय ध्यान में रखना चाहिये कि क्या अभियुक्त का अपराध करने का एक सामान्य आशय था जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है। हर मामले की तथ्य की परिस्थितियाँ अलग-अलग होती हैं तथा प्रत्येक मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निस्तारित किया जाना चाहिए। कोई कार्य पूर्व निधार्रित सामान्य आशय के अनुसार हो। वह साक्ष्य का तथ्य है न कि विधि का। घटना के समय केवल एक व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से वह व्यक्ति धारा 34 की परिधि में नहीं आये जब तक कि साक्ष्य उसके विरुद्ध ना हो। धारा 34 की परिधि, जब तक कि नहीं है उसके खिलाफ साबित [पैरा 7] [21, सी, डी, एफ-जी; एच; 22, ए]

मगसोगदन व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 126; *बाबा नंदा बर्मा और अन्य बनाम असम राज्य* एआईआर 1977 एससी 2252- पर भरोसा किया।

मलखान और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1975 एससी ;*शंकरलाल कछारभाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य* ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1260- निर्दिष्ट।

ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी; 'रसेल ऑन क्राइम' 12 वीं संस्करण Vol.1 पीपी 487- संदर्भित किया गया।

संदर्भित निर्णीय कानून

ए आई आर 1976 एस सी 2027 के पैरा 6 का संदर्भ दिया गया।

1972 सी आर एल एल.जे. 465 एस सी के पैरा 7 पर भरोसा किया गया।

ए आई आर 1977 एस सी 2252 के पैरा 7 पर भरोसा किया गया।

ए आई आर 1988 एस सी 126 के पैरा 7 पर भरोसा किया गया।

ए आई आर 1963 एस सी 1413 के पैरा 7 का संदर्भ दिया गया।

ए आई आर 1965 एस सी 1260 के पैरा 7 का संदर्भ दिया गया।

ए आई आर 1975 एस सी 12 के पैरा 7 का संदर्भ दिया गया।

आपराधिक अपील सं. 193/2005

इलाहबाद उच्च न्यायालय के आपराधिक अपील संख्या 1349/1981 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 24-11-2003 से।

डॉ. अरिजीत पसायत, जे.

1. अपीलकर्ताओं ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में आईपीसी) की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ताओं की सजा को बरकरार रखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा दिए

गए फैसले की वैधता पर सवाल उठाया है। जहां तक अपीलकर्ता ऐज़ाज़ ए 1 का सवाल है, उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 307 सपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसकी सजा को भी बरकरार रखा। दो अन्य अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 302 के साथ धारा 34 आईपीसी और धारा 307 के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चार व्यक्तियों को मुकदमे का सामना करना पड़ा, हालांकि विद्वान सातवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मेरठ ने ए-1 से ए-4 को दोषी पाया। उच्च न्यायालय ने इमलाक (ए-4) को बरी करने का निर्देश दिया।

2. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं: चारों अभियुक्त आपस में रिश्तेदार हैं और ग्राम इकला रसूलपुर, थाना परीछतगढ़, जिला मेरठ के रहने वाले थे। मामले के मुखबिर बशीर मोहम्मद (पीडब्लू 1) के साथ-साथ इस्माइल (बाद में मृतक के रूप में संदर्भित) भी उसी गांव में रहते थे। घटना की तारीख से लगभग ढाई वर्ष पहले अर्थात घटना की दिनांक 4.11.1979 को एक रियाज़ू गाँव से गायब हो गया और उसका पता नहीं लगाया जा सका। पुलिस स्टेशन में अपीलकर्ता ऐज़ाज़ और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था जिसमें मृतक पैरवी कर रहा था। अपीलकर्ताओं ने मृतक से कई बार उस मामले में गवाह के रूप में उपस्थित न होने या मामले की पैरवी न करने के लिए कहा था। इस्माइल इस पर सहमत नहीं हुआ जिसके कारण

अपीलकर्ता उससे दुश्मनी रखते थे।

इकला रसूलपुर में एक स्कूल है, जिसका नाम है डेनी इस्लामी मदरसा इकला रसूलपुर और ग्राम खानपुर के ग्रामीणों की एक समिति स्कूल के मामलों का प्रबंधन करती थी। मृतक और सूचक समिति के सदस्य थे। कोषाध्यक्ष पद को लेकर कुछ विवाद था। दिनांक 4.11.1979 को ग्राम सियाल में एक बैठक होनी थी। उक्त बैठक के बारे में अपीलकर्ताओं के साथ-साथ इकला रसूलपुर के ग्रामीणों को भी जानकारी थी। घटना दिनांक अर्थात 4.11.1979 को मृतक इस्माइल और सूचनाकर्ता बशीर मोहम्मद मोटर साइकिल से बैठक में भाग लेने के लिए ग्राम इकला रसूलपुर से निकले। मृतक मोटर साइकिल चला रहा था जबकि सूचना देने वाला पीछे बैठा था। दोपहर करीब 12 बजे जब वे प्रकाश खजूरी के खेत के पास पहुंचे तो सड़क पर मोड़ था। मृतक ने मोटर साइकिल की गति धीमी कर ली, उसी समय चारों आरोपी प्रकाश के खेत से निकले अपीलकर्ता ऐजाज़, हमद हसन और जान आलम जो देशी पिस्तौल से लैस थे, ने इमलाक के उकसाने पर मुखबिर और मृतक की ओर गोलीबारी की। इमलाक भाले से लैस था। बंदूक की गोली न तो मृतक को लगी और न ही मुखबिर को। हालाँकि, मृतक घबरा गया और मोटर साइकिल से सड़क पर गिर गया। मृतक मोटर साइकिल व अपनी चप्पल छोड़कर खैराती के खेत से गांव की ओर भाग गया। चारों आरोपियों ने उसका पीछा किया। सूचना देने वाला बशीर मोहम्मद भी मदद के लिए चिल्लाता हुआ उनकी ओर

दौड़ा। लगभग 100 गज तक मृतक का पीछा करने के बाद, आरोपियों ने मृतक को पकड़ लिया और उसे जमीन पर धकेल दिया। तीनों अपीलकर्ताओं ने मृतक को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया तथा अपीलकर्ता एजाज ने मृतक की गर्दन पर गोली मारी। याकूब (पीडब्लू2) इयान मोहम्मद (पीडब्लू3) और एक हफीजुद्दीन उर्फ फौजू और सहीमुद्दीन वहां आए। इसके बाद आरोपी दक्षिण दिशा की ओर चले गए। इस्माइल की तुरंत मौत हो गई और घटनास्थल पर खून भी गिरा हुआ था। बशीर मोहम्मद ने घटना स्थल पर एक लिखित रिपोर्ट तैयार की, वह साइकिल से थाने गया और दिनांक 4.11.1979 को दोपहर 1.00 बजे थाना परीछतगढ़ में रिपोर्ट दर्ज करायी। घटनास्थल से थाने की दूरी तीन किलोमीटर है। एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान किया गया।

जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दायर किया गया और चूंकि आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया, इसलिए उन पर मुकदमा चलाया गया। ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियुक्त का प्राथमिक रुख यह था कि अभियोजन पक्ष ने घटना की उत्पत्ति को दबा दिया है। उनके अनुसार पीडब्लू 1, 2 और 3 के साक्ष्य आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करते थे। किसी भी स्थिति में यह प्रस्तुत किया गया कि जहां तक ए2 और ए4 का संबंध है, धारा 34 का कोई अनुप्रयोग नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और दोषसिद्धि दर्ज की। अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष रुख दोहराया गया। उच्च न्यायालय ने पाया कि जहां

तक ए4 का संबंध है, साक्ष्य पर्याप्त थे, लेकिन जहां तक अपीलकर्ताओं का संबंध है, उन्होंने दोषसिद्धि की पुष्टि की।

3. अपील के समर्थन में, यह तर्क दिया गया है कि घटना अनिवार्य रूप से दो चरणों में हुई। भले ही A1 और मृतक के बीच कोई दुश्मनी थी, A2 और A3 का उससे कोई लेना-देना नहीं था। इसके अतिरिक्त दूसरे भाग में भी अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 द्वारा किसी भी हथियार का उपयोग नहीं किया गया था। उनके खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि उन्होंने मृतक को पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया।

4. प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील- दूसरी ओर राज्य ने ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया।

5. पीडब्लू के साक्ष्य 1, 2 और 3 स्पष्ट और ठोस है। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने सबूतों का विस्तार से विश्लेषण किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि इसमें विश्वसनीयता है और यह सत्य प्रतीत होता है। साक्ष्य को स्वीकार करने की कोई भी कमजोर बात नहीं बताई जा सकी। इसलिए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का पीडब्ल्यू 1, 2 और 3 के सबूतों पर भरोसा करना उचित था।

6. धारा 34 से संबंधित याचिका पर आते हुए धारा का वास्तव में मतलब यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति जानबूझकर संयुक्त रूप से एक सामान्य कार्य करते हैं, तो यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि उनमें से प्रत्येक ने इसे व्यक्तिगत रूप से किया हो। यह आपराधिक

न्यायशास्त्र का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि दालतें सह-षड्यंत्रकारियों के बीच अंतर नहीं कर सकती हैं, न ही पूछताछ कर सकती हैं, भले ही यह संभव हो कि प्रत्येक ने अपराध में क्या भूमिका निभाई है। जहां पार्टियां एक सामान्य आशय को निष्पादित करने के लिए एक सामान्य आशय के साथ चलती हैं, वहां प्रत्येक व्यक्ति एक- दूसरे के कार्य के लिए जिम्मेदार हो जाता है, उनके सामान्य आशय के कार्यान्वयन और उसे आगे बढ़ाने में जैसे आशय समान है, वैसे ही जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। सभी मुख्य अपराध के दोषी हैं, न कि केवल उकसाने के इस प्रकार के संयोजन में, किसी एक पक्ष द्वारा दिया गया घातक आघात कानून की नजर में उपस्थित और सहयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दिया गया माना जाता है। लेकिन जिस पक्ष को अपने साथी के हत्या करने के आशय का ज्ञान नहीं है, वह उत्तरदायी नहीं है, भले ही उसने अपने साथी के साथ मिलकर एक गैरकानूनी कार्य किया हो। इस धारा की प्रमुख विशेषता कार्रवाई में भागीदारी का तत्व है। इस धारा के तहत दायित्व का सार अपराधियों को प्रेरित करने वाले एक सामान्य आशय का अस्तित्व और सामान्य आशय के अग्रसरण पूर्व निधारित के तहत किये गये एक आपराधिक कृत्य में भागीदारी है। (देखे रामास्वामी अय्यर व अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (एआईआर 1976 एससी 2027) सभी मामलों में भागीदारी भौतिक उपस्थिति से होनी आवश्यक नहीं है। शारीरिक हिंसा से जुड़े अपराधों में, आम तौर पर अपराध स्थल पर उपस्थिति आवश्यक हो

सकती है, लेकिन अन्य अपराध के संबंध में ऐसा नहीं है। जब अपराध में विविध कार्य शामिल होते हैं जो अलग अलग समय और स्थानों पर किए जा सकते हैं। इस धारा के तहत दोषी ठहराए जाने वाले अपराधी की अपराध स्थल पर भौतिक उपस्थिति हर मामले में इसकी प्रयोज्यता की शर्तों में से एक नहीं है। इससे पहले कि इस धारा के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति को दूसरे द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि (i) दोनों के बीच पूर्व व्यवस्थित योजना के अर्थ में सामान्य आशय था, और (ii) जिस व्यक्ति को इस प्रकार उत्तरदायी ठहराया जाना चाहा है उसने अपराध गठित करने वाले कार्य में किसी न किसी रूप में भाग लिया था। जब तक सामान्य आशय और भागीदारी दोनों मौजूद न हों, यह धारा लागू नहीं हो सकती।

7. सामान्य आशय का तात्पर्य पूर्व व्यवस्थित योजना और पूर्व व्यवस्थित योजना के अनुसार मिलकर कार्य करना है। इस धारा के तहत पूर्व निधार्रित योजना की सहमति में कार्य करने को साबित करना आवश्यक नहीं है। मामले के तथ्यों और स्थिति की परिस्थितियों के संदर्भ में, किसी विशेष परिणाम को लाने का सामान्य आशय कई व्यक्तियों के बीच मौके पर ही विकसित हो सकता है। हालाँकि सामान्य आशय मौके पर ही विकसित हो सकता है, तथापि, यह अपराध करने से पहले एक पूर्व-व्यवस्थित योजना और पूर्व व्यवस्थित योजना के तहत मिलकर सहमति में रहकर कार्य होने का प्रदर्शन होना चाहिये। (देखे कृष्ण गोविंद पाटिल बनाम

महाराष्ट्र राज्य (एआईआर 1963 एससी 1413) देखें)। अमृत सिंह और अन्य बनाम राज्य पंजाब (1972 सीआरएल.एलजे 465 एससी) यह माना गया है कि सामान्य आशय में पूर्व व्यवस्थित योजना शामिल होता है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि समान या समान आशय को सामान्य आशय के साथ भ्रमित न किया जाए; विभाजन जो उनके बंधनों को विभाजित करता है वह अक्सर बहुत पतला होता है, फिर भी वास्तविक और पर्याप्त होता है, और अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो न्याय की विफलता होगी। सामान्य आशय का गठन करने के लिए यह आवश्यक है कि उनमें से प्रत्येक का आशय बाकी लोगों को पता हो और उनके द्वारा साझा किया जाए। निस्संदेह, किसी व्यक्ति के आशय को साबित करना भी एक कठिन बात है और इसलिए व्यक्तियों के समूह के सामान्य आशय को दिखाना और भी मुश्किल है। लेकिन कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो, अभियोजन पक्ष को तथ्यों, परिस्थितियों और अभियुक्तों के आचरण का साक्ष्य अवश्य देना चाहिए, जिससे उनके सामान्य आशय को सुरक्षित रूप से एकत्र किया जा सके। *मगसोदन व अन्य यूपी राज्य* (एआईआर 1988 एससी 126) में यह देखा गया कि अभियोजन पक्ष को ऐसे सबूत पेश करने चाहिए जिनसे आरोपी के सामान्य आशय को सुरक्षित रूप से इकट्ठा किया जा सके। अधिकांश मामलों में इसका अनुमान मौजूदा मामले के कार्य, आचरण या अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों से लगाया जाना चाहिए। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में

रखा जाना चाहिए कि क्या अभियुक्तों का अपराध करने का सामान्य आशय था जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है। मामलों के तथ्य और परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं और प्रत्येक मामले में शामिल तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए। क्या कोई कार्य सामान्य आशय को आगे बढ़ाने में है यह तथ्य की घटना है, कानून की नहीं। *भाभा नंदा बर्मा और अन्य बनाम असम राज्य*, (एआईआर 1977 एससी 2252) यह देखा गया कि अभियोजन पक्ष को इस निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए तथ्यों को साबित करना होगा कि कृत्यों में सभी प्रतिभागियों ने आपराधिक कृत्य करने का एक सामान्य आशय साझा किया था जो अतंतः एक या अधिक प्रतिभागियों द्वारा किया गया था। अपने सहयोगियों द्वारा अपराध करने के समय किसी व्यक्ति की उपस्थिति ही, अपने आप में उसके मामले को धारा 34 के दायरे में लाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि उसके खिलाफ साजिशों का समुदाय साबित नहीं हो जाता (देखें *मलखान और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* (एआईआर 1975 एससी 12) ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में, "फर्थरंस" शब्द को आगे बढ़ने में मदद करने की क्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा को अपनाते हुए, रसेल कहते हैं कि "यह भविष्य में प्रभाव पैदा करने वाली किसी प्रकार की सहायता या सहायता को इंगित करता है" और आगे कहते हैं कि किसी भी कार्य को अतिम घोर अपराध को आगे बढ़ाने के लिए किया गया माना जा सकता है यदि यह जानबूझकर उठाया गया कदम का

आशय उस अपराध को करना था। (रसेल ऑन क्राइम 12 वां संस्करण, खंड 1, पृ.487 और 488) *शंकरलाल कचराभाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य* (एआईआर 1965 एससी 1260) इस न्यायालय ने "फर्थरंस" शब्द की व्याख्या उन्नति या प्रचार के रूप में की है।

8. जब ऊपर दिए गए कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में तथ्यात्मक परिदृश्य का विश्लेषण किया जाता है, तो परिहार्य निष्कर्ष यह है कि पील बिना योग्यता के है, खारिज करने योग्य है, जैसा कि हम निर्देशित करते हैं।

अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक न्यायाधिकारी अंकित परिहार, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।